

समांक/मा.वि./जी/ 7194

प्रति,

परियोजना निदेशक,

परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ब्लॉक एफ-5 शिवराज ग्रीन्स,

सिहावा रोड धमतरी 493773 (छ0ग0)

विषय :-

धमतरी जिले के धमतरी वनमण्डल, कांकेर जिले के कांकेर वनमण्डल एवं कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु NHAI PIU DHAMTARI द्वारा Development of Economic Corridors, Inter- corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency, of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur- Vishakhapatnam (Ch. 0.000- Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661) हेतु क्षेत्रफल – 228.0425 हे0 प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बाबत।

संदर्भ :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ) अटल नगर नवा रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र.भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-883/1583 दिनांक 16.07.2021

⊗ ⊗ ⊗

विषयान्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत धमतरी, कांकेर, केशकाल वनमण्डल अंतर्गत NHAI PIU DHAMTARI द्वारा Development of Economic Corridors, Inter- corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency, of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur- Vishakhapatnam (Ch. 0.000- Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661) हेतु क्षेत्रफल – 228.0425 हे0 प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तावित है। जिसमें धमतरी वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 147.6994 हे0 वनभूमि भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित है। संदर्भित पत्र के तारतम्य में 44 बिन्दुओं का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आप निम्न बिन्दुओं की जानकारी पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें :-

GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख			
क्रं.	अभिलेख का विवरण	पूर्ण है(✓)/ अपूर्ण(X)	अपूर्ण है तो कमियों का विवरण
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र	X	आवेदक विभाग का मांग पत्र संलग्न नहीं है एवं फॉर्म "क" का भाग एक अपूर्ण है एवं Online form - I में पदनाम का हस्ताक्षर एवं तारीख अंकित नहीं है।
2.	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (प्लॉट कोड/वनमण्डल कोड/शाखा कोड/वर्ग/पंजीयन क्रमांक)	✓	-
3.	वन क्षेत्र विवरण	✓	-
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण	X	गैर वनक्षेत्र/राजस्व क्षेत्र/निजी भूमि की जानकारी संलग्न नहीं है।
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोग्राफी 1: 50000 स्केल पर	✓	-

o/c

6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप।	✓	-
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव।	X	संलग्न नहीं है।
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप।	✓	-
9.	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र।	✓	-
10.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र।	✓	-
11.	पर्यावरण संरक्षण क्लीरेंस प्रमाण-पत्र।	X	अपूर्ण है।
12.	वृक्ष विदोहन विवरण।	X	अपूर्ण है।
13.	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस	✓	-
14.	चयनित गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि पंचशाला (जसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर आदेश)	X	परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि रकबा 228.0425 हे० के एक्ज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने वनभूमि (बिगड़े वनों के सुधार के तहत) महासमुंद वनमंडल में महासमुंद परिक्षेत्र अंतर्गत रकबा 163.000 हे०, सरायपाली परिक्षेत्र अंतर्गत रकबा 174.000 हे०, पिथौरा परिक्षेत्र अंतर्गत रकबा 120.000 हे०, इस प्रकार कुल रकबा 457.000 हे० वनभूमि प्रस्तावित किया गया है। अतः आप संबंधित वनमण्डल से सम्पर्क स्थापित कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव तैयार कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
15.	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	X	
16.	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वृद्धि के)	X	
17.	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाणपत्र	X	
18.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	✓	-
19.	अधिनियम उल्लंघन के अधिकारियों का विवरण	✓	-
20.	अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही।	✓	-
21.	गैर वनभूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र		Not applicable
22.	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान		Not applicable
23.	रिक्लेमेशन प्लान		Not applicable
24.	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)		Not applicable
25.	व्यवस्थापन प्लान	X	व्यवस्थापन प्लान संलग्न नहीं है।
26.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)		-
27.	ऐतिहासिक प्रमाणपत्र	✓	-
28.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाणपत्र	X	संलग्न नहीं है।
29.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में	✓	-
30.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में	✓	-
31.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में	✓	-
32.	अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह /मूर्ति न होने की जानकारी	✓	-
33.	खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन		Not applicable

34.	फलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	X	सलग नहीं है।
35.	राजस्व वन भूमि फलेक्टर का प्रमाण पत्र	X	सलग नहीं है।
36.	प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र		-
37.	वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र 7-1/2004		-
38.	वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र 6-MPC 013/2008-BHO/357	✓	-
39.	भूमि में कार्य न प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र	✓	-
40.	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F No.11-9/1998 FC	✓	-
राज्य शासन से संबंधित अभिलेख			
41.	पंजीयन क्र. पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण	✓	-
42.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी का अभिमत)		-
43.	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों का प्रमाण पत्र	✓	-
44.	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण :-	✓	-

“वर्तमान में किसी भी प्रकार के वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है”

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल धमतरी

धमतरी, दिनांक 12/12/2021

पृ.क्रमांक/मा.चि./आर/ 7420

प्रतिलिपि :- 01. उप वनमंडलाधिकारी धमतरी/बिरगुड़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

02. परिक्षेत्र अधिकारी करेगांव/उत्तर सिंगपुर/बिरगुड़ी/दक्षिण सिंगपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप इस कार्यालय के पत्र/मा.चि./आर/4836 दिनांक 25.08.2021 के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करें।

“वर्तमान में किसी भी प्रकार के वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है”

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल धमतरी

O/C